

19.12.2023

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण एकतरफा।

बहस सुनी गई।

प्रार्थी विवादित भूमी के रिकार्डेड खातेदार और अपनी खातेदारी जोत की नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया एवं सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।




उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी